तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	खण्ड पीठ **श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष** **श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य** उपस्थित :– श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक अपीलार्थी श्री आर.पी.शर्मा ,उप राजकीय अभिभाषक **निर्णय** यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–9–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी बडीसादडी के समक्ष बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बडीसादडी की भूमि खसरा नंबर 1675 बीड नामी गडिया स्थित है जिसमें से उक्त आराजी नंबर 1675/7 रकबा 96 बीघा भी शामिल है। ठिकाना बडीसादडी राजराणा हिम्मतसिंह के घरू हवाला खातेदारी की थी एवं इसके मालिक हिम्मतसिंह जी थे। यह भूमि दिनांक 1–12–63 को मोहन को हिम्मतसिंह ने विक्रय कर कब्जा दे दिया एवं खातेदार मोहन हुये तथा भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहे थे। खातेदार मोहनलाल ने खसरा नंबर 1675/7 रकबा 96 बीघा में से 25 बीघा जरिये पंजीयन विक्रय दिनांक 28–4–73 को वादी को बेच दिया एवं नामांतरकरण संख्या 935 दिनांक 28–2–75 को प्रमाणित किया। वादी मुतवातिर लगान अदा कर रहा है। प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी को बिलानाम बताकर बेदखली की कार्यवाहीं कर रहे है। अतः भूमि खसरा नंबर 1675/7 रकबा 96 बीघा में से 25 बीघा का वादी को खातेदार घोषित किया जावे एंव प्रतिवादी को दखल न करने हेतु पाबंद किया जावे। परीक्षण न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 7–9–02 द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुये डिक्री कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट सरकार ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चितौडगढ के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24–9–03 द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 7–9–02 निरस्त करते हुये प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय को निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। वादीया अपीलांट ने बैयनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी घोषणा करवाई है। मुमाबिक राजस्व रिकोर्ड खातेदारी भूमि को क्रय किया है। प्रतिवादी द्वारा बैयनामे का खंडन नहीं किया है। बैयनामें के आधार पर वादी को खातेदारी विधिसम्मत् दी गई थी। अपीलीय न्यायालय परीक्षण न्यायालय द्वारा विचरित तनकीयात के निष्कर्ष से कैसे असंतुष्ट थे, के सबंध में कोई विवेचन अंकित नहीं किया है। अपीलीय न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है। मात्र यह अंकित किया कि सिलिंग कार्यवाहीं से सबंधित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध नही है, वाद लौटाया है। विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य एवं विवेचन के पश्चात कायम की गई तनकीयात का विश्लेषण करते हुये निर्णय व डिक्री जारी की है, किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजरअदांज करते हुये अपने संक्षिप्त निर्णय द्वारा परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित (Remand) कर दिया। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे एंव अपील स्वीकार की जाकर परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे। उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुये विद्वान प राजकीय अभिभाषक ने बहस में कहा कि सिलिंग प्रकरण में खातेदार हिम्मतसिंह के पास भूमि अधिक होने एवं विक्रय को मान्यता नहीं देने से भूमि अधिग्रहित की गई है जिससे वादी को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते। ऐसी स्थिति में सिलिंग निर्णय का परीशिलन किये वाद को डिक्री नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रत्यर्थी की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की दिखाई देने वाली विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के कारण द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	वादी अपीलार्थी द्वारा परीक्षण न्यायालय में राजस्व वाद लाने का मुख्य आधार यह लिया गया है कि विवादित मौजा बडीसादडी की भूमि खसरा नंबर 1675 बीड नामी गडिया में आराजी नंबर 1675/7 रकबा 96 बीघा शामिल है। विवादित आराजी हिम्मतसिंह की खातेदारी की थी। यह भूमि दिनांक 1–12–63 को हिम्मतसिंह ने मोहन को विक्रय कर कब्जा दे दियो। खातेदार मोहनलाल ने खसरा नंबर 1675/7 रकबा 96 बीघा में से 25 बीघा जरिये पंजीयन विक्रय दिनांक 28–4–73 को वादी को बेच दिया एवं नामांतरकरण संख्या 935 दिनांक 28–2–75 को प्रमाणित किया। अतः भूमि खसरा नंबर 1675/7 रकबा 96 बीघा में से 25 बीघा का वादी को खातेदार घोषित किया जावे एंव प्रतिवादी को दखल न करने हेतु पाबंद किया जावे। हमारी सुविचारित राय में विवादित आराजी सिलिंग कार्यवाहीं में अधिग्रहण की जाकर राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज की गई है तथा अपीलांट वादी खरीद के आधार पर विवादित आराजी को अपने खाते में दर्ज कराना चाहता है। ऐसी स्थिति में मूल खातेदार हिम्मतसिंह के विरूद्ध की गई सिलिंग कार्यवाहीं में पारित निर्णय को देखा जाना अति आवश्यक है तथा सिलिंग कार्यवाहीं में पारित निर्णय की रोशनी में ही वादी के वाद का निस्तारण किया जाना कानूनन एवं उचित है। सिलिंग कार्यवाहीं में पारित निर्णय हस्तगत् पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। सिलिंग निर्णय की प्रति अभिलेख पर उपलब्ध न होने की स्थिति में वादी का वाद डिक्री किया जाना अपीलीय न्यायालय ने उचित नहीं मानते हुये प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि सिलिंग कार्यवाहीं से सबंधित निर्णय को अभिलेख पर लेकर उस निर्णय की रोशनी में विचाराधीन वाद का परीक्षण किया जाकर पक्षकारान को इस बिन्दु पर सुनवाई का अवसर देकर विधिसम्मत् जांच करते हुये निर्णय पारित करे, जो न्यायसंगत है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह मत है कि विचारण न्यायालय का निर्णय तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित न हो कर त्रुटिग्रस्त है और ऐसे त्रुटिग्रस्त निर्णय व डिक्री को निरस्त कर अपील कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करने में ''प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 24–9–03'' में ऐसी कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित हो। सारांशतः हस्तगत द्वितीय अपील खारिज किये जाने योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (आर.के.जायसवाल) सदस्य (मुकेश कुमार शर्मा) अध्यक्ष	